

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 22/ 02/ 2013

क्रमांक एफ 6-164/2012/वा.क.(पं.)/पांच(८३) :: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(क्रमांक-16 सन् 1908) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा :-

- (1) कोरबा जिले की पाली तहसील में रजिस्ट्रकरण उप-जिला पाली बनाती है, जिसमें नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे, इस अनुसूची के सरल क्रमांक 1 से 98 तक के ग्राम जो कि अब तक कोरबा जिले के कटघोरा उप-जिले में एवं सरल क्रमांक 99 एवं 100 में विनिर्दिष्ट ग्राम जो कि कोरबा जिले के हरदीबाजार उप-जिले में सम्मिलित हैं तथा उनके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात क्रमशः उक्त कटघोरा उप-जिले एवं हरदीबाजार उप-जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे और उसके भाग नहीं माने जायेंगे ;
- (2) पाली में एक कार्यालय स्थापित करती है, जिसका अभिनाम उप रजिस्ट्रार कार्यालय पाली होगा ;
- (3) और यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) एवं (2) के अधीन उप जिले का बनाया जाना तथा उप रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 01/04/2013 से प्रभावशील होगा ।

// अनुसूची //

प्रस्तावित नवीन उप पंजीयक कार्यालय पाली में आने वाले ग्रामों की सूची :-

स.क्र	ग्रामों का नाम	बन्दोबस्त क्र.	पटवारी हल्का क्र.	राजस्व निरीक्षक कृत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मदनपुर	9	1	पाली
2	कुटेलाभुड़ा	10	1	पाली
3	बडेबांका	28	1	पाली
4	नानबांका	29	1	पाली
5	नवापारा	8	2	पाली
6	बम्हनीखुर्द	11	2	पाली
7	डोडकी	7	2	पाली
8	ठाड़पखना	6	2	पाली
9	सगुना	25	2	पाली
10	भेलवाटिकरा	5	2	पाली
11	चैतमा	16	3	पाली
12	भरुहामुड़ा	17	3	पाली
13	रैनपुर	19	3	पाली
14	मानिकपुर	18	3	पाली

	ग्रामों का नाम	बन्दोबस्त क्र.	पटवारी इल्का क्र.	राजस्व निरीक्षक वृत्त
15	साजाबहरी	20	3	पाली
16	मांगामरि	21	4	पाली
17	केराकछार	73	4	पाली
18	गोपालपुर	12	5	पाली
19	नवागांव खुर्द	13	5	पाली
20	कांजीपानी	14	5	पाली
21	घुईघुवा (घुरी)	15	5	पाली
22	घुईघुवा (लाफा)	35	5	पाली
23	ईरफ	3	6	पाली
24	तिलईकुण्डी	2	6	पाली
25	पटपरा	1	6	पाली
26	भौडकछार	4	6	पाली
27	कपोट	34	7	पाली
28	हाथीबाडी	मसाहती ग्राम	7	पाली
29	पोटापानी	33	7	पाली
30	भण्डारखोल	31	8	पाली
31	जरमौड़ा	30	8	पाली
32	खराबहार	29	8	पाली
33	अलगीडांड	32	8	पाली
34	बगभरीडांड	43	8	पाली
35	पहाबगांव	मसाहती ग्राम	9	पाली
36	बाईसेम्हर	मसाहती ग्राम	9	पाली
37	केरामुखा	मसाहती ग्राम	9	पाली
38	बारीउमराव	28	9	पाली
39	सुरका	मसाहती ग्राम	9	पाली
40	सपलवा	7	10	पाली
41	हिरवाडोली	6	10	पाली
42	राहा	6	10	पाली
43	शमाकछार	176	10	पाली
44	तेलसरा	मसाहती ग्राम	10	पाली
45	उडान	1	10	पाली
46	जेमरा	4	11	पाली
47	बगदरा	6	11	पाली
48	रतखण्डी	2	11	पाली
49	पहाड़जमड़ी	3	11	पाली
50	लाफा	28	12	पाली
51	औरमाटा	28	12	पाली
52	नगोई	48	12	पाली
53	भावा	50	12	पाली
54	लोहकिया	48	12	पाली
55	बतरा	53	13	पाली
56	करानवापारा	52	13	पाली

क्र.	ग्रामों का नाम	बन्दोबस्त क्र.	पटवारी हल्का क्र.	राजस्व निरीक्षक कृत
57	कोड़ार	51	13	पाली
58	परसदा	55	14	पाली
59	बापापूती	57	14	पाली
60	शिवपुर	54	14	पाली
61	सिल्ली	56	15	पाली
62	निरधी	58	15	पाली
63	पोंडी	60	16	पाली
64	पोलमी	59	16	पाली
65	पुलालीकला	46	17	पाली
66	मुडाली	47	17	पाली
67	नानपुलाली	63	17	पाली
68	नवापारा	45	17	पाली
69	केराझरिया	64	18	पाली
70	सीला	44	18	पाली
71	बुडबुड	66	19	पाली
72	बुकुपथरा	62	19	पाली
73	दमियां	76	19	पाली
74	रंगोले	40	19	पाली
75	सरईपाली	67	19	पाली
76	मुनगाडीह	71	20	पाली
77	राहाडीह	68	20	पाली
78	तालापार	69	20	पाली
79	खैराबुवान	61	20	पाली
80	सेमरकछार	70	20	पाली
81	बकसाही	72	21	पाली
82	चेपा	74	21	पाली
83	हरनमुडी	73	21	पाली
84	करतला	78	22	पाली
85	डोंगानाला	75	22	पाली
86	गणेशपुर	मसाहती ग्राम	22	पाली
87	मादन	42	23	पाली
88	नगर पंचायत पाली	65	23	पाली
89	माखनपुर	37	24	पाली
90	बनबांधा	36	24	पाली
91	डुमरकछार	41	24	पाली
92	सेन्दरीपाली	38	25	पाली
93	चदुयामीना	मसाहती ग्राम	25	पाली
94	घौरामाठा	39	25	पाली
95	तेंदुभाठा	77	25	पाली
96	नुनेरा	75	26	पाली
97	रंगोले	74	26	पाली
98	जमनीमुड़ा	77	27	पाली

	ग्रामों का नाम	बन्दोबस्त क्र.	पटवारी हल्का क्र.	राजस्व निरीक्षक वृत्त
99	बांधाखार	76	27	पाली
100	बसीबार	78	27	पाली

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.एस.मिश्रा)

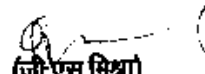
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

रायपुर, दिनांक 22/02/2013

क्रमांक एफ- 6-164/2012/वा.कर(पं.)/पांच (03). :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-164/2012/वा.कर(पं.)/पांच(03), दिनांक 22/02/2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।


(जी.एस.मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 25/06/2013

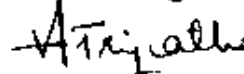
क्रमांक एफ 06-151/2013/वा.क.पं./पांच(42) :: भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 18) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण जिलों को बनाती है :-

- (1) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला महासमुन्द बनाती है, जिसमें संपूर्ण महासमुन्द, पिथौरा, बागबाहरा, सरायपाली, बसना राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
(ख) महासमुन्द में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, महासमुन्द होगा ।
- (2) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला कबीरधाम बनाती है, जिसमें संपूर्ण कवर्धा, बोडला, सहसपुर-लोहारा, पंडरिया राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि राजनांदगांव रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त राजनांदगांव रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
(ख) कबीरधाम में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, कबीरधाम होगा ।
- (3) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला जशपुर बनाती है, जिसमें संपूर्ण जशपुर, मनोरा, बगीचा, कांसाबेल, कुनकुरी, फरसाबहार, दुलदुला एवं पत्थलगांव राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि रायगढ़ रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त रायगढ़ रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
(ख) जशपुर में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, जशपुर होगा ।
- (4) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला कोरिया बनाती है, जिसमें संपूर्ण कोरिया, बैकुण्ठपुर, सोनहत, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं खडगदां राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त सरगुजा रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
(ख) कोरिया में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, कोरिया होगा ।

//2//

- (5) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला कांकेर बनाती है, जिसमें कांकेर राजस्व जिला के संपूर्ण कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल, अन्तागढ़, पखान्जुर राजस्व तहसीलें एवं राजस्व जिला नारायणपुर के संपूर्ण नारायणपुर एवं ओरछा तहसील समाविष्ट होंगी जो कि बस्तर (जगदलपुर) रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त बस्तर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
- (ख) कांकेर में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, कांकेर होगा ।
- (6) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला दंतेवाड़ा बनाती है, जिसमें संपूर्ण दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुंआकोंडा, राजस्व तहसीलें एवं राजस्व जिला सुकमा के संपूर्ण सुकमा, छिंदगढ़, कौटा तहसीलें तथा राजस्व जिला बीजापुर के संपूर्ण बीजापुर, भोपालपटनम, भैरमगढ़, उसूर (आवापल्ली) तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि बस्तर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त बस्तर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे ।
- (ख) दंतेवाड़ा में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, दंतेवाड़ा होगा ।
- (7) यह निर्देश देती है कि उपर सरल क्रमांक (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन जिलों का बनाया जाना तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 01/07/2013 से प्रभावशील होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

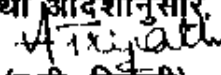
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग


25/06

रायपुर, दिनांक 25/06/2013

क्रमांक एफ 06-151/2013/वाक.(पं.)/पांच (42) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06-151/2013/वाक.(पं.)/पांच (42), दिनांक 25/06/2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

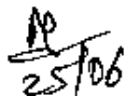


(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग


25/06

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक २५ / 06 / 2013
क्रमांक एफ 10-32/2013/वा.क.(पं.)/पांच(43) : भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1808 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक-24/02/1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

//संशोधन//

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (52) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (53) जोड़ा जाता है :-

(53) राज्य शासन की "आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012" के अन्तर्गत आटोमोटिव उद्योगों (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स उद्योग) की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं शक्तीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रयोजन हेतु भूमि, भवन, शेड के क्रय/पट्टे की लिखतों के पंजीयन पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करता है ।

2/ यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2012 से प्रभावशील होकर 31 अक्टूबर, 2017 तक ही प्रभावशील रहेगी ।

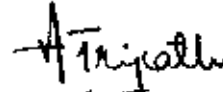
स्पष्टीकरण :-

- 1 इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु परिभाषाएं वही होंगी जो वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-34/2010/वा.क.(पं.)/पांच (47), दिनांक 16/06/2010 के स्पष्टीकरण-1 में उल्लेखित है ।
- 2 पंजीयन शुल्क से छूट के लिए लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा ।
- 3 ऐसा प्रमाण-पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय/पट्टा विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा ।
- 4 पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्त ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होता है, के सतत निगरानी/प्रतिवेदन संबंधित कलेक्टर को प्रेषित किये जाने का दायित्व उद्योग विभाग का होगा ।

// 2 //

- 5 पंजीयन शुल्क से छूट के संबंध में आटोमोटिव औद्योगिक नीति-2012 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट, तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्त दिनांक से, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उद्योग विभाग के समन्वय से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी।
- 6 ऐसे विलेखों, जिनमें संबंधित धक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व पंजीयन शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें पंजीयन शुल्क से भुगतान की छूट प्राप्त नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़, शासन

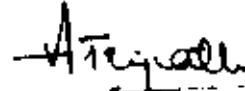
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

25/06

रायपुर, दिनांक 25/06/2013

क्रमांक एफ 10-32/2013/वाक.(पं.)/पांच(43) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2013/वाक.(पं.)/पांच(43) दिनांक 25/06/2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़, शासन

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

25/06

**Government of Chhattisgarh,
Commercial Tax (Registration) Department,
Mantralaya,
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

//Notification//

Raipur, Dated : 25/ 06 /2013

No. F 10 -32 /2013/CT(R)/V/(43) :: In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the Notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely:-

// Amendment //

In the said notification in "The Table of Registration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item no. (53) shall be added after item no. (52), namely:-

- (53) State Government hereby remits the registration fees, chargeble on instruments executed for Sale/Lease of Land, Building and Shed for the establishment of Automotive Industries (two wheeler, three wheeler, passenger and commercial vehicle, earth movers, vehicles used for agriculture purpose, auto components/parts industries) and the expansions, diversification, forward intrigration, backward intrigration of established industries under the Automotive Industrial Policy-2012.

- 2/ this notification shall come into effect from 1st of the November-2012 and shall remain in force only till 31st October-2017.

Explanations:- for the purpose of this notification -

- (1) Definitions for the purpose of this notification shall be the same as mentioned in explanation of notification no F-10-34/2010/CT(R)/V/(47) dated 16-06-2010 of the Department of Commercial Taxes.
- (2) The certificate issued by the GM/CGM District Trade and Industry Centre of the concerned district in case of small scale industries and by the Commissioner of Industries/Director of Industries or an officer so authorised, for industries other than small scale industries only shall be accepted for exemption in registration fees.
- (3) Such cetificate shall be presented in original alongwith the deeds of sale/lease and enclosed in original with the office copy and shall be made a part of the record.
- (4) It shall be the liability of the Department of Industries to monitor all cases that have been granted exemption for breach of conditions mentioned in the Automotive Industrial Policy-2012 and report such cases to the concerned Collector.

//2//

- (5) The exemption of registration duty so granted shall become ineffective immediately for breach of the conditions mentioned in Automotive Industrial Policy-2012 and the registration fee so exempted shall be recovered by the Collector with the help of Department of Industries, as arrears of land revenue along with an interest at the rate of 12.5% from the date of exemption.
- (6) No exemption from the payment of registration duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

*By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh*

A. P. Tripathi

(A.P. Tripathi)

Joint Secretary

*Government of Chhattisgarh,
Commercial Tax (Registration)
Department*

25/06

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

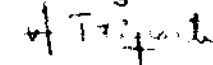
नया रायपुर, दिनांक 13/09/2013
क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (65) :: भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1808 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य
सरकार एतद्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ.,
दिनांक-24/02/1975 में और संशोधन करती है, अर्थात :-

//संशोधन//

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष
छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (52) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (53) जोड़ा जाता है :-

- (53) राज्य सरकार, रायपुर विकास प्राधिकरण की विशिष्ट योजनाएं क्रमशः "इन्द्रप्रस्थ
फेस-2, रायपुरा", "विशेषीकृत व्यवसायिक क्षेत्र "रायपुरा" एवं "गंजमंडी" क्षेत्र
विकास योजना, रायपुर के तहत रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मूल भूमिस्वामी के
मध्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-56 के अन्तर्गत
प्रावधानित अनुबन्ध को प्रभावी किये जाने हेतु निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य पंजीयन
शुल्क से छूट प्रदान करती है ।
- 2/ उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

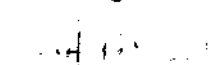
छत्तीसगढ़ शासन,

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग


13/09

नया रायपुर, दिनांक 13/09/2013
क्रमांक एफ 10-27/2012/वाक.(पं.)/पांच (65) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348
के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/
2012/वाक.(पं.)/पांच (65) दिनांक 13/09/2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के
प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

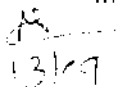


(ए.पी. त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग


13/09

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax (Registration) Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, New Raipur

// Notification //

New Raipur, Dated : 13/09/2013

No. F 10 - 27 /2012/CT(R)/V/ (65) :: In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification no. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :-

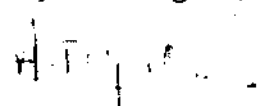
// Amendment //

In the said notification in "The Table of Registration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item no. (53) shall be added after item no. (52), namely :-

(53) State Government hereby remits the registration fees chargeable on instruments executed, between original owner of the land and the Raipur Development Authority, under the Special Schemes of "Indraprasth Phase-2, Raipura" Specialised Commercial Zone "Raipura" and "Ganj Mandi Area Development Scheme" Raipur, for giving effect to the agreement provided in section 56 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

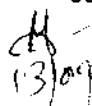
2/ This Notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh,


(A.P. Tripathi)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh,
Commercial Tax (Registration) Department


13/09